B.A. II Hons
IV paper

page-①

गुप्तों का केन्द्रीय व्यवस्था

गुप्तवंशीय नरेशों ने एक अत्यन्त सुदृढ़ शासन-व्यवस्था की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने पूर्व राजाओं के शासन ~~का~~ प्रबन्धों के सभी तत्वों को ग्रहण किया। और अपने बुद्धि के द्वारा उन्हें मौलिक और आदर्श रूप प्रदान किया। उस काल में ~~[illegible]~~ राजतंत्र ही सर्व-प्रचलित शासनतंत्र था। परन्तु इसके साथ ही कुछ गणतंत्रात्मक राज्य भी मिलते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार 400 ई० के लगभग यह गणतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई और विभिन्न गणराज्य गुप्त साम्राज्य के राजतंत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित होने लगी।

राजा ही शासन का प्रधान होता था। गुप्तवंशीय नरेश, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभागवत, परमदैवत, चक्रवर्ती ~~[illegible]~~ उपाधियाँ धारण करते थे। लोक (प्रजा) राजा को देव तुल्य समझती थी। गुप्तकालीन साहित्य के अनुसार इस युग में केन्द्र का अधिष्ठाता निरंकुश होता था। राजा के महत्व पूर्ण पदों पर राजा द्वारा ही नियुक्तियाँ की जाती थी। सम्राट का पद वंशानुगत होता था और प्रायः राजा के ज्येष्ठ पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था।

यद्यपि राजा के अधिकार असीमित थे। तथा उस पर किसी प्रकार बंधन नहीं था। फिर भी राजाओं के अनेक नैतिक बंधनों के अनुसार कार्य करना पड़ता था। वह शासन संचालन के कार्य में अमात्यों से परामर्श किया करता था।

राजा एक मंत्रीपरिषद का गठन किया करता था। इसका अनुमोदन शास्त्रों में भी मिलता है। यह मंत्रीपरिषद सम्राट के कार्यों एवं शासन-व्यवस्था में सहायता तथा परामर्श दिया करती थी। सम्राट ही मंत्रियों की नियुक्ति किया करता था। प्रत्येक मंत्री अपने-अपने विभागों का उत्तरदायित्व होता था। मंत्री का चरित्र अत्यन्त ही उच्च होता था। उसके लिए पवित्र, विचारशील, विद्वान, सत्यवादी, न्यायप्रिय तथा कुलीन होना अनिवार्य था। केन्द्रीय शासन के विभिन्न भाग केन्द्रीय शासन को संचालन की सरलता के लिए अनेक विभागों में विभाजित किया गया था। इन विभागों में प्रमुख विभाग निम्नलिखित थे:—

Scanned with CamScanner

Page 2

1. महासेनापति :→ गुप्त सेनापति अपने अधीन महासेनापति की नियुक्ति करता था। यह साम्राज्य के विभिन्न भागों विशेष रूप से सीमावर्ती प्रदेशों में सैन्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता था। सेना विभाग के समस्त कार्यों के लिए यह ही उत्तरदायी होता था।

2. महादण्डनायक :- महादण्डनायक सेनापति के अधीन रहता था। युद्ध के समय यह सैन्य संचालन करता तथा उसका नेतृत्व भी किया करता था।

3. रणभण्डागार :→ यह पदाधिकारी सेना के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध करता था। यह अस्त्र-शस्त्र समय पर सेना को पहुँचाता था और इनका एक पृथक ही विभाग होता था।

4. दण्डपाशिक → दण्डपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। इसके अन्तर्गत अनेक अधिकारी होते थे जिनमें 'चौरोद्धरणिक' दूत आदि कर्मचारी प्रमुख होते थे। पुलिस विभाग के साधारण सैनिक को 'भट' कहते थे।

5. महासन्धिविग्राहक → यह अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय विभाग की देख-भाल किया करता था अपने समीपवर्ती राज्यों से यही सन्धि अथवा विग्रह किया करता था। राज्य का अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो, किस प्रकार की नीति हो, इसका निश्चित यही पदाधिकारी करता था।

6. भाण्डागाराधिकृत :→ यह राजकोष का अधिकारी होता था। कोष सम्बन्धी सभी विषयों में इसका निर्णय महत्व पूर्ण होता था।

7. विनयस्थिति स्थापक :→ यह अधिकारी धर्म का अध्यक्ष होता था। वैशाली की एक मुहर पर पुरोहित के स्थान पर 'विनयस्थिति स्थापक' नाम के अधिकारी का उल्लेख मिला है। यह अधिकारी का कार्य जनता के चरित्र को सुधारना देश में धार्मिक भावना का विकास करना तथा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच एकता की भावना उत्पन्न करना है। डा० अल्तेकर के अनुसार यह अधिकारी राज्य के शिक्षा प्रसार के लिए उत्तरदायी होता था।

8. महाअक्षपटलिक :- यह अधिकारी राज्य के समस्त आदेशों का रिकार्ड रखता था। यह लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था।

9. सर्वाध्यक्ष :- सर्वाध्यक्ष साम्राज्य के केन्द्रीय विभाग

Scanned with CamScanner

page-03
3.

का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद पर किसी राजकुमार अथवा कुलीन परिवार का सदस्य ही नियुक्त होता था। इससे स्पष्ट होता है कि यह पद अत्यन्त महत्वपूर्ण होता था।

उपर्युक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ छोटे कर्मचारी होते थे उनमें से कुछ प्रमुख हैं:—

1. ध्रुवाधिकरण :— इनका कार्य भूमिकर वसूल करना।
2. पुस्तपाल :— यह राज्य के आदेशों का लेखा रखता था।
3. गोप :— गोप नामक अधिकारी गाँव के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखता था।
4. अग्रहारिक :— ये अधिकारी दान सम्बन्धी कार्यों का देख-भाल करता था।
5. औल्मिक — यह अधिकारी वन विभाग का अध्यक्ष होता था।
6. करणिक :— यह आधुनिक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी होता था।

आई० सी० एस० या आई० ए० एस० के समान गुप्त साम्राज्य में भी उच्चाधिकारियों की एक अलग श्रेणी थी। इन अधिकारियों के पद का नाम कुमारामात्य था। कुछ विद्वानों का यह मत है कि कुमारामात्य राजकुमारों के मंत्री थे। मगर वैसी स्थिति नहीं थी। समुद्रगुप्त का विदेशमंत्री हरिषेण और प्रथम कुमारगुप्त के मंत्री शिखरस्वामी सम्राट के दफ्तर में कार्य करते थे तथापि उनकी पदवी कुमारामात्य थी। पुण्ड्रवर्धन विषय के अधिपति (जिलाधीश) न सम्राट के, न राजकुमार के दफ्तर में कार्य करते तथापि वे भी कुमारामात्य कहलाते थे। महादण्डनायक भी कभी-कभी कुमारामात्य पदवी के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि कुमारामात्य पद के अधिकारी कभी जिलाधीश या कभी सचिव, आगे चलकर तरक्की पाकर वे कभी सेनापति, कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री बन जाते थे। जैसा कि अमात्यों के विषय में मौर्य एवं सातवाहन साम्राज्य में होता था। इन अधिकारियों के पद का नाम पूर्वकाल के समान अमात्य होने के बजाय कुमारामात्य क्यों हुआ यह कहना मुश्किल है। नौकरी के शुरू से ही वे अमात्य पद पर नियुक्त किये जाते थे। न कि किसी दूसरे नीचे पद पर। इसलिए

Scanned with CamScanner

Page-04

4. ये कुमारामात्य पद पर नियुक्त करते थे। इसलिए आमात्य कुमारामात्य नाम से निर्दिष्ट किये जाते होंगे। मुहरों में युवराजपदीय - कुमारामात्य एवं परमभट्टारकपदीय कुमारामात्यों का उल्लेख मिलता है। जो कुमारामात्य युवराज या महाराजाधिराज के अधिकरण (दफ्तर) में काम करते थे। उनका निर्देश इन पदों से किया जाता था। कुमारामात्य नाम गुप्तकाल में सर्वप्रथम रूढ़ हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि गुप्तोत्तरकाल में उड़ीसा एवं काठियावाड़ में भी यह पदवी प्रयोग में आने लगा।

अतः उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है गुप्तों का शासन-व्यवस्था उच्चकोटि का था। अपने शासन-व्यवस्था को सुचारुरूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के विभागों में कायम कर साम्राज्य को संचालित किया।

Dr. Birendra Prasad Singh
Associate Professor
Deptt of AI & AS
Shershah College
Sasaram